136

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल ग्वालियर केरपरीवाम0प्र0

वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र मउगंज द्वारा प्रभारी अधिकारी-
अबधेश पाण्डेय वन परिक्षेत्रीय अधिकारी मउगंज, जिला रीवाम0प्र0

----निगरानीकर्ता

बनाम

जगतदेव सिहं पिता बिश्राम सिहं सा0कंजरा, तहसील मउगंज,
जिलारीवाम0प्र0

2- शासन म0प्र0 ----गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी बिरूद्ध नायब तहसीलदार वृत्त
सीतापुर, तहसील मउगंज जिलारीवाम0प्र0के
प्र0क्0 4अ12/11-12 मे पारित आदेशदिनांक
8-12-11 के बिरूद्ध अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू0
रा0सं0के अधीन निगरानी

महोदय,

निगरानी के आधार-

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का अलोच्य आदेशबिधि के बिपरीत होने से निरस्त योग्यहै।

2- यह कि, स्पस्ट किया जाताहैकि आराजी नम्बर 184/1 रकवा 15.75ए. स्थित साकिम सीतापुर, तहसील मउगंज जिलारीवाम0प्र0का राजस्व नक्शा तर्मीमन होने के कारण उक्त आवेदित आराजी की चौहदी एवं स्थिति स्पस्ट नहीहै ऐसी स्थिति मे जिस भू भागका सीमांकन अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा कराया गयाहैवह भू भाग बन परिक्षेत्र के कब्जे दखल मे हैलेकिन बन परिक्षेत्र के अधिकारियो को पक्षकार बनाये बगैर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो का उल्लंघन करते हुये आदेशपारित कियागयाहैजिससे स्पस्ट है कि बन भूमियो को बिना समुचित सुनवायी के सीमांकितनही कियाजा सकता लेकिन अधीनस्थ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–**R**.1275–**II** / 12 जिला–रीवा

वनपरिपेक्ष मउगंज / जगतदेव सिंह

(1)	(2)	(3)
23.01.18	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	